

Undertaking

(In terms of Para 297 of O.M. Part-I)

A) I understand that:-

- a) I will not participate in any anti-Government activities during my visit abroad as mentioned in Para 297 of O.M. Part-I
- b) I will not stay abroad beyond my leave period as sanctioned by the Competent Authority.

B) Further, I understand that:-

- a) While I am abroad whether on an official duty or private affairs. I shall continue to be subject to all the provisions of Government Servants conduct Rules including those relating to the communication of official documents or information, connection with the press and criticism of Government as expression of opinion on matters relating to foreign countries and
- b) Any breach of these provisions whether committed in India or abroad shall render me equally liable to disciplinary action.

(Signature of the Applicant)

Place:

Name:

Date:

Grade:

A/c No.:

Office:

उद्घोषणा

(कार्यालय जापन भाग-1 के पैरा 297 के अनुसार)

क) मैं समझता हूँ कि:-

क) मैं अपनी विदेश यात्रा के दौरान सरकार विरोधी गतिविधियों में भाग नहीं लूंगा जैसा कि कार्यालय जापन के पैरा 297 में उल्लेख किया गया है।

ख) मैं सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी संस्वीकृत छुट्टी अवधि से अधिक विदेश में नहीं रहूंगा।

बी) इसके अतिरिक्त, मैं समझता हूँ कि: -

क) जब मैं विदेश में रहूंगा चाहे वह आधिकारिक कर्तव्य पर हो या निजी कार्यों के लिए। मैं सरकारी सेवक आचरण नियमावली के सभी प्रावधानों के अधीन रहूंगा, जिनमें आधिकारिक दस्तावेजों या सूचनाओं के संप्रेषण, प्रेस के साथ संबंध और विदेशों से संबंधित मामलों पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में सरकार की आलोचना शामिल है, और

बी) इन प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन, चाहे वह भारत में हो या विदेश में, मुझे अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए समान रूप से उत्तरदायी बनाएगा।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान:

नाम:

दिनांक:

श्रेणी:

खाता संख्या:

कार्यालय: